प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पांच'

प्रश्न सं. [क्र. 447]

[23/2/2017]

परिशिष्ट-37

डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयास

1. राज्य शासन द्वारा नकद रहित व्यवहारों को बढ़ाने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिये अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसके द्वारा अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन को प्रस्तुत की गई हैं। राज्य शासन द्वारा इन अनुशंसाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। समिति की अनुशंसाओं में भारत सरकार तथा बैंकों से संबंधित अनुशंसाएं भी शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार, भारतीय बैंक्स संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति आदि को भेजा चुका है।
2. राज्य शासन द्वारा माननीय वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई है जिसके द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जा रही है।
3. प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से नागरिकों एवं व्यापारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों द्वारा माह जनवरी 2017 तक 4500 से अधिक केन्द्रों द्वारा लगभग 31.75 लाख नागरिकों एवं 32 हजार से अधिक व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह कार्य निरन्तर रूप से जारी है।
4. राज्य शासन द्वारा प्रदेश में मा० मंत्रीगण् एवं विधायकगण्, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और स्कूल के छात्रों को कैशलेस ट्रान्जेक्शन की ट्रेनिंग दिए जाने का कार्य शुरू किया गया है जो आधुनिक युग में टेक्नोलोजी क्षेत्र में हो रहे बदलावों एवं उभरती नई ट्रान्जेक्शन प्रणालियों से जनमानस को अपडेट करने में सफल प्रयोग है।
5. राज्य शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी जिलों के दो–दो अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चिन्हित करके प्रशिक्षित किया गया है । इनके द्वारा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए जायेंगे । जिला स्तर पर तैयार किये गये मास्टर ट्रेनर द्वारा विकास खंड स्तर पर ग्रामीण पंचायत स्तर पर तथा नगरीय निकाय के क्षेत्र में वार्ड स्तर पर कैशलेस ट्रांजेक्शन हेतु नागरिकों को सतत् प्रशिक्षित किया जावेगा।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

6. राज्य शासन की ट्रेजरी के माध्यम से नागरिकों को होने वाले शतप्रतिशत भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से किये जा रहे हैं। राज्य शासन की समस्त राजस्व प्राप्तियों का लगभग 69 प्रतिशत ई–प्रणाली से भुगतान प्राप्त हुआ है। राज्य शासन द्वारा समस्त राजस्व प्राप्तियां निकट भविष्य में ई–प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
7. राज्य शासन द्वारा प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें जैसे आय एवं जाति प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सेवाओं हेतु लोक सेवा केन्द्रों पर ली जाने वाली फीस का डिजिटल भुगतान प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में ली जाने वाली फीस/शुल्क के डिजिटल भुगतान की वयवस्था की जा रही है। प्रदेश के बड़े नगर निगमों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लिये जाने वाले शुल्क एवं उनके द्वारा लिये जाने वाले कर, ई–भुगतान प्रणाली से लेने की व्यवस्था की जा रही है।
8. नागरिकों से व्यापारियों को किये जाने वाले भुगतान में कैशलेस ट्रान्जेक्शन को बढ़ावा देने के लिये बैंकों द्वारा पी0ओ0एस0 मशीन स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। पी0ओ0एस0 मशीन सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश द्वारा मशीन पर लगने वाले वेट कर से छूट प्रदाय की गई है।
9. प्रदेश की 257 मंडियों में लगभग 95 प्रतिशत ट्रान्जेक्शन बैंकिंग चैनल के माध्यम से हुआ हैं। किसानों को खाद एवं बीज की खरीदी कैशलेस ट्रान्जेक्शन तरीके से करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही फसलों का शतप्रतिशत भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। प्रदेश के कार्यरत जिला सहकारी बैंक एवं अपेक्स बैंक द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट, RTGS, NEFT आदि पर लगने वाले सभी चार्जेस को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश की सहकारी बैंक द्वारा e-wallet के रूप में सहकार बटुआ की सेवाओं प्रारम्भ की गई है।
10. भारत सरकार द्वारा प्रदेश के भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर शहर में डिजिधन मेले का आयोजन किया गया है जिसमें डिजिटल भुगतान हेतु उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी गई है।

अवर सचिव (आयुक्त द्वारा अनुमोदित)
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग (बजट-1)